सीकर: दो ई-वाहन शोरूम में भीषण आग; 40 इलेक्ट्रिक स्कूटी, बाइक जलकर राख

भास्कर न्यूज | सीकर

शहर के जयपुर रोड पर शनिवार तड़के दो इलेक्ट्रिक वाहन शोरूम में भीषण आग लग गई। आग में करीब 40 इलेक्ट्रिक स्कूटी, बाइक और ऑटो जलकर राख हो गए। आग सबसे पहले भैरोंसिंह शेखावत के बीएस ऑटोमोबाइल शोरूम में लगी और पास स्थित बच्चन मोटर्स तक फैल गई। प्लास्टिक-रबर के हिस्सों के कारण आग तेजी से फैली। आग बुझाने के लिए सीकर सहित नवलगढ़, खाटूश्यामजी, फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़ से 10 दमकलें मौके पर पहुंचीं। 15 से अधिक दमकलकर्मियों ने करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की लपटें पास स्थित हुंडई के ऑटो पार्ट्स शोरूम तक भी पहुंचीं, जिससे स्पेयर पार्ट्स, एसी और अन्य सामान जल गया। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है।

जमीन बेचने पर पिता ने रोका तो बेटे ने कुल्हाड़ी से की हत्या

सागवाड़ा| पैतृक जमीन बेचने को लेकर पिता से विवाद में बेटे ने कुल्हाड़ी से उनकी हत्या कर दी और छत से गिरने की झूठी कहानी रच दी। श्मशान घाट पर पिता के सिर, कान के पीछे, कान और हाथ की अंगुली पर गहरे घाव देखकर परिजनों को शक हुआ। अंतिम संस्कार रुकवाकर पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया। पूछताछ में आरोपी कांतिलाल ने हत्या कबूल कर ली। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर खून से सनी कुल्हाड़ी बरामद की। डैयाना निवासी मृतक की पुत्री कल्पना यादव ने 28 अगस्त को रिपोर्ट दी। बताया कि पिता गौतम पुत्र नाथू यादव बेटे कांतिलाल के साथ गोवाड़ी में रहते थे। 27 अगस्त की रात कांतिलाल ने परिजनों को बताया कि गौतम छत से गिर गए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सख्ती से पूछताछ में उसने कुल्हाड़ी से पिता की हत्या करना स्वीकार कर लिया। पुलिस के अनुसार पैतृक जमीन बेचने को लेकर पिता-पुत्र में आए दिन विवाद होता था।

आम सूचना

भूमि खसरा क्रमांक 259/2 में से रकबा 0.18757 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 259/2 में से रकबा 0.02109 हेक्टेयर, ग्राम सेमरी बाज्याफत, पटवारी हल्का नम्बर-73, तहसील हुजूर, जिला भोपाल के सम्बन्ध में।

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार ने श्री जय नारायण आत्मज श्री हरी प्रसाद एवं श्री रामस्वरूप आत्मज श्री हरि प्रसाद, दोनों निवासी मकान नं. 64, सेमरी बाज्याफत, भदभदा रोड, रातीबड़, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.) के संयुक्त स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि खसरा क्रमांक-258/2 में से रकबा 0.18757 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 259/2 में से रकबा 0.02109 हेक्टेयर (दो किता) कुल रकबा 0.20866 हेक्टेयर (22460.5 वर्गफिट) है, जो ग्राम सेमरी बाज्याफत, पटवारी हल्का नम्बर-73, विकास खण्ड फन्दा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.) में स्थित है, जिसकी चतुर्सीमाएं- पूर्व में-श्री चैतन्य चौधरी की भूमि, पश्चिम में-कच्चा रास्ता, उत्तर में-कच्चा रास्ता, दक्षिण में-प्रीति पटेल की भूमि है, जिसे क्रय करने हेतु मेरे पक्षकार ने विक्रेता को अग्रिम राशि का भुगतान कर दिया है। यदि उक्त वर्णित सम्पत्ति किसी भी शासकीय, अशासकीय, अर्द्धशासकीय विभाग, व्यक्ति, बैंक, वित्तीय संस्थान के पास बंधक हो अथवा अन्य किसी प्रकार से विक्रय अनुबन्ध, भार, वारिसाना या उत्तराधिकार या कोई स्वत्व सम्बन्धी आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर मेरे कार्यालय में सप्रमाण उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। समयावधि उपरांत मेरा पक्षकार उक्त वर्णित सम्पत्ति का अपने पक्ष में विक्रय पत्र का पंजीयन कराने हेतु स्वतंत्र होगा और कालावधि समाप्त होने पर किसी भी प्रकार की आपत्ति मेरे पक्षकार पर बंधनकारी नहीं होगी।

भवदीय **अंकिता द्विवेदी** (एडवोकेट)
द्विवेदी लॉ चेम्बर
कार्यालय :- 220,213, बी.डी.ए.काम्पलेक्स, 1 नं. स्टाप, शिवाजी नगर भोपाल. मो.नं.9425968337

जाहिर सूचना

संपत्ति - ई-3/14, नुपुरकुंज, अरेरा कॉलोनी, नगर पालिक निगम, वार्ड क्रमांक 45, भोपाल (म.प्र.) के संबंध में

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार श्री विवेक मेंदिरत्ता आत्मज स्व. श्री वासुदेव मेंदिरत्ता, निवासी - ई-7/एच.आई.जी.-495 अरेरा कॉलोनी, भोपाल, 462016 (मध्य प्रदेश) ने अनीता जैन निवासी-ई-3/14, नुपुरकुंज, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.) के विरूद्ध वाणिज्यिक वाद क्र. COMMS-1/2026 वाणिज्यक न्यायालय (व्यवहार न्यायाधीश), भोपाल (म.प्र.) के समक्ष प्रस्तुत किया है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 28.02.2026 पारित कर अनीता जैन की संपत्ति जो कि ई-3/14, नुपुरकुंज, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.) में स्थित है, को कुर्क कर लिया है। उक्त संपत्ति कुर्क हो जाने के कारण उसके संबंध में किया गया किसी भी प्रकार का संव्यवहार, बिना न्यायालय की अनुमति लिये अवैधानिक होगा जिसके लिये अपराधिक कार्यवाही की जा सकेगी। परिणाम स्वरूप सर्वसाधारण को सचेत किया जाता है कि उक्त संपत्ति के अंतरण/हस्तांतरण/गिरवी हेतु श्रीमती अनीता जैन या उनके किसी अन्य परिवारजन से किसी भी प्रकार का अनुबंध अथवा संव्यवहार ना करें।

आर्यन गुप्ता अधिवक्ता
(बार लीगल, एडवोकेट्स एवं कंसलटेंट्स)
कार्या.पता- ई-4/219, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.)
मो. 9753374667

जाहिर सूचना

संपत्ति - ई-3/14, नुपुरकुंज, अरेरा कॉलोनी, नगर पालिक निगम, वार्ड क्रमांक 45, भोपाल (म.प्र.) के संबंध में

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार श्री पुनीत गुजराल आत्मज स्व. श्री वेदप्रकाश गुजराल एवं श्रीमती निधी गुजराल पत्नि श्री पुनीत गुजराल, दोनों निवासी- ए-1, शाहपुरा, भोपाल (म.प्र.) ने अशोक कुमार जैन एवं प्रकृति जैन, निवासी-ई-3/14, नुपुरकुंज, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.) के विरूद्ध वाणिज्यिक वाद क्र. COMMS-2/2026 वाणिज्यक न्यायालय (व्यवहार न्यायाधीश), भोपाल (म.प्र.) के समक्ष प्रस्तुत किया है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 28.02.2026 पारित कर अशोक कुमार जैन एवं प्रकृति जैन की संपत्ति जो कि ई-3/14, नुपुरकुंज, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.) में स्थित है, को कुर्क कर लिया है। उक्त संपत्ति कुर्क हो जाने के कारण उसके संबंध में किया गया किसी भी प्रकार का संव्यवहार, बिना न्यायालय की अनुमति लिये अवैधानिक होगा जिसके लिये अपराधिक कार्यवाही की जा सकेगी। परिणाम स्वरूप सर्वसाधारण को सचेत किया जाता है कि उक्त संपत्ति के अंतरण/हस्तांतरण/गिरवी हेतु श्रीमती प्रकृति जैन एवं अशोक कुमार जैन या उनके किसी अन्य परिवारजन से किसी भी प्रकार का अनुबंध अथवा संव्यवहार ना करें।

आर्यन गुप्ता अधिवक्ता
(बार लीगल, एडवोकेट्स एवं कंसलटेंट्स)
कार्या.पता- ई-4/219, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.)
मो. 9753374667

-: जाहिर सूचना :-

आवासीय भूखण्ड क्रमांक-396-ए, सर्वधर्म सेक्टर-बी, (के.के. नगर कालोनी) ग्राम-दामखेड़ा, भोपाल

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार ने डॉ. तृप्ति जैन पत्नी डॉ. संजीव जैन निवासी-सी-127, सी-सेक्टर, शाहपुरा, भोपाल के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य का एक किता आवासीय भूखण्ड क्रमांक-396-ए, खसरा क्रमांक-24/2, 24/3, 27/1 का अंश भाग, सर्वधर्म गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित द्वारा विकसित कालोनी "के.के. नगर कालोनी, सर्वधर्म सेक्टर-बी" जो कि ग्राम-दामखेड़ा भोपाल, तहसील कोलार, जिला भोपाल में नगर पालिक निगम की सीमाओं के अन्दर में कुल क्षेत्रफल-2400 वर्गफीट का स्थित है, जिसकी चर्तुसीमाऐं निम्नानुसार है, दिशा पूरब में-भूखण्ड क्रमांक-394-डी, दिशा पश्चिम में-कालोनी का रोड, दिशा-उत्तर में-भूखण्ड क्रमांक-396, दिशा दक्षिण में-396-बी है, जिसे मेरे पक्षकार के पक्ष में विक्रय करने की आपसी सहमति हो गयी है एवं बयाना राशि भी अदा कर है। उक्त संबंध में किसी भी व्यक्ति, संस्था, बैंक, हाऊसिंग फायनेंस संस्था, फर्म, शासकीय व गैर शासकीय कार्यालय को किसी भी प्रकार आपत्ति हो या उक्त वर्णित सम्पत्ति कहीं अनुबंध, विक्रय, दान, बंधक, गिरवी, वसीयत, हिबा, हस्तांतरण इत्यादि हो तो वह इस सूचना प्रकाशन के 7 (सात) दिन की समयावधि में मेरे कार्यालय में मय दस्तावेज सहित उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा मेरा पक्षकार उक्त वर्णित भूखण्ड का पंजीयन करा लेगा, ऐसी स्थिति में कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

महेश कुमार मौर्य अधिवक्ता
कार्या फ्लाट नं.-154, महेन्द्रा काम्पलेक्स जोन-1, एम.पी. नगर भोपाल
मो-9425011591

-: जाहिर सूचना :-

आवासीय भूखण्ड क्रमांक-ए-03, अल्टीमेट इम्पीरियल विला, ग्राम सनखेडी, भोपाल

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार ने श्री शैलेन्द्र नागवंशी आत्मज श्री डी. आर. नागवंशी निवास-एच-3, कोटरा सुल्तानाबाद, शहीद चौक, सरकारी आवास, भोपाल के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य के एक किता आवासीय भूखण्ड क्रमांक-ए-03, खसरा क्रमांक-171, 178, 179 एवं 168 कुल रकबा-2.06 हेक्टेयर का अंश भाग, अल्टीमेट इम्पीरियल विला, जो कि ग्राम-सनखेडी, तहसील कोलार, जिला भोपाल में नगर पालिक निगम की सीमाओं के अन्दर में कुल क्षेत्रफल-102.11 वर्गमीटर का स्थित है। उक्त वर्णित भूखण्ड की चतुर्सीमाएं निम्नानुसार हैं, जिसके पूरब में-अन्य की भूमि, पश्चिम में-कालोनी का रोड, उत्तर में-भूखण्ड क्रमांक-ए-04, दक्षिण में-भूखण्ड क्रमांक-ए-02 है, जिसे मेरे पक्षकार के पक्ष में विक्रय करने की आपसी सहमति हो गयी है एवं बयाना राशि भी अदा कर दी है। उक्त संबंध में किसी भी व्यक्ति, संस्था, बैंक, हाऊसिंग फायनेंस संस्था, फर्म, शासकीय व गैर शासकीय कार्यालय को किसी भी प्रकार आपत्ति हो या उक्त वर्णित सम्पत्ति कहीं अनुबंध, विक्रय, दान, बंधक, गिरवी, वसीयत, हिबा, हस्तांतरण इत्यादि हो तो वह इस सूचना प्रकाशन के 10 (दस) दिन की समयावधि में मेरे कार्यालय में मय दस्तावेज सहित उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा मेरा पक्षकार उक्त वर्णित भूखण्ड का पंजीयन करा लेगा, ऐसी स्थिति में कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

महेश कुमार मौर्य अधिवक्ता
कार्या फ्लाट नं.-154, महेन्द्रा काम्पलेक्स जोन-1, एम.पी. नगर भोपाल
मो-9425011591

दैनिक भास्कर मे जाहिर सूचना के खंडन दिनांक 13.8.2026 का खंडन

सोरभ सहिनी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 13.8.2026 भूखंड क्रमांक 61/6 कोड 61 जो कि खसरा क्रमांक 367/3 रकबा 0.6880 हैक्टर, विद्या नगर फेस 2, बावडिया कलाँ भोपाल के संबंध में दी गई थी। उक्त खंडन गलत जानकारी के आधार पर प्रकाशित किया गया है। यह की उक्त भूमि का बटान तहसीलदार कोलार के कार्यालय से दिनांक 8.6.2026 को प्रकरण क्रमांक 0085/अ-3/2025-26 में स्वीकृत किया जा चुका हैं एवं उक्त आदेश आज दिनांक प्रभावशाली हैं। यह की आपके पक्षकार एवं आपके द्वारा उक्त खंडन को इस आदेश के विरुद्ध में जारी किया गया है एवं ऐसे में उक्त खंडन पूर्णत गलत हैं। अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता हैं की उक्त खंडन अधूरी जानकारी के आधार पर हैं एवं इसकी आपत्ति लेते हुए हमारे पक्षकार द्वारा एक लीगल नोटिस दिनांक 20.8.2026 को भी दिया गया हैं और आपके द्वारा भविष्य में कोई गलत जानकारी पर कार्यवाही करने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। सर्वसाधारण से निवेदन हैं की उक्त खंडन से भ्रमित न हो और उक्त भूमि के संबंध मे कोई भी संव्यावहार चिनार रिटेल प्राइवेट लिमिटेड से न करे अन्यथा उसके लिया आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे।

संभव सोगानी एडवोकेट
चेम्बर न. 143, लॉयर्स चेम्बर, भोपाल न्यायालय के पीछे, अरेरा हिल्स, भोपाल
मो.नं. 7509576440

आम सूचना

खसरा क्रमांक 139/2/1/1 ग्राम मेंडोरी तहसील हुजूर जिला भोपाल म.प्र. की भूमि के संबंध में

मेरे पक्षकारगण ने खसरा क्रमांक 139/2/1/1 रकबा 0.8610 हेक्टेयर अर्थात 2.15 एकड़ ग्राम मेंडोरी तहसील हुजूर जिला भोपाल मध्यप्रदेश स्थित भूमि के संबंध में श्री मसूद अली आत्मज स्व. श्री इश्तियाक अली निवासी मकान नंबर 72 साजिदा नगर, वी.आई.पी. रोड के पास, करबला, थाना कोहेफिजा जिला भोपाल मध्यप्रदेश के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की है। जिसमें प्रकरण क्रमांक आर.सी.एस. 850-ए/2022 न्यायालय श्रीमान दशम सिविल जज वरिष्ठ खंड भोपाल मध्यप्रदेश के समक्ष विचाराधीन है। प्रकरण क्रमांक एम.सी.ए 108/2025 में न्यायालय श्रीमान बीसवें जिला न्यायाधीश भोपाल मध्यप्रदेश द्वारा मेरे पक्षकारगण के पक्ष में आदेश पारित कर श्री मसूद अली आत्मज स्व.श्री इश्तियाक अली के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है कि वह प्रकरण क्रमांक आर.सी.एस. 850-ए/2022 के अंतिम निराकरण तक वादग्रस्त भूमि खसरा क्रमांक 139/2/1/1, रकबा 0.8610 हेक्टेयर अर्थात 2.15 एकड़ स्थित ग्राम मेंडोरी पटवारी हल्का नंबर 33, रा.नि.मं.-3. विकासखण्ड फंदा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल का विक्रय, दान, हस्तांतरण न करे और न करावे। यदि उक्त भूमि या उसके किसी भाग पर किसी भी व्यक्ति, शासकीय/अर्धशासकीय, वित्तीय संस्था, बैंक, सोसायटी एवं अन्य द्वारा किसी प्रकार का कोई सौदा या लेन देन किया जाता है तो किसी भी व्यक्ति, संस्था आदि को किसी प्रकार का कोई हित, स्वत्व संबंध प्राप्त नहीं होगा तथा तत्संबंध में की जाने वाली कार्यवाही के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

अगेन्द्र सिंह घुरैया अधिवक्ता
74 वैशाली नगर भोपाल
मो. 9890427497

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार द्वारा आराजी कृषि भूमि खसरा क्रमांक 58/2 (रकबा 0.028 हेक्टेयर), 58/3 (रकबा 0.028 हेक्टेयर), 58/4 (रकबा 0.086 हेक्टेयर) एवं 59 (रकबा 0.22 हेक्टेयर), कुल रकबा 0.362 हेक्टेयर, स्थित ग्राम कटारा (बाग मुंगालिया), पटवारी हल्का नं. 25, राजस्व निरीक्षक मण्डल-4, विकास खण्ड फंदा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.), जो कि वर्तमान में (1) श्री नंदन त्रिपाठी पुत्र श्री एस.पी. त्रिपाठी (खसरा 58/4), (2) श्री दीपक पाण्डे पुत्र श्री दशरथ प्रसाद पाण्डे (खसरा 58/2), (3) श्री चन्द्रशेखर श्रीवास्तव पुत्र स्व. श्री राधिका प्रसाद श्रीवास्तव (खसरा 58/3) एवं (4) अतुलनीय विचार मंच शिक्षा एवं ग्रामीण विकास समिति (खसरा 59) के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, से ज्वाइंट वेंचर हेतु अनुबंधित कर रहे हैं। अतः यदि किसी भी व्यक्ति, संस्था, बैंक, वितीय संस्थान अथवा किसी भी पक्षकार को उपरोक्त संपति में विक्रय, क्रय, दान, बंधक, भोगबंधक, लीज, लाइसेंस, वसीयत, पारिवारिक बंटवारा, कोर्ट डिक्री, कुर्की, प्रभार अथवा किसी भी प्रकार के अधिकार, हक, हित, दावे या आपत्ति हो तो वह इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर सम्पूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर यह माना जायेगा कि उक्त संपत्ति पर किसी का कोई अधिकार, हक, हित, दावा अथवा आपत्ति नहीं है एवं मेरे पक्षकार उक्त संपत्ति का क्रय / ज्वाइंट वेंचर की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु स्वतंत्र होंगे। तत्पश्चात् किसी भी दावे अथवा आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

अनुज जैन भवदीय-अधिवक्ता
चेम्बर नं.-138, उत्तमचन्द्र ईशरानी लायर्स चेम्बर जिला न्यायालय के पीछे अरेरा हिल्स जिला भोपाल मोबा.-09691386301,

जाहिर सूचना पत्र

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार दिव्या दिद्वेदी पत्नि निशांत चौधरी निवासी म. न. 135 महावली नगर भोपाल म.प्र. के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य का एक मकान ग्राम कोटरा सुल्तानाबाद निराला नगर खसरा नं. 53/1, 52/2 का फर्जी रूप से नामातंरण शशि सिसौदिया पत्नि शिवनारायण सिसौदिया, जीत चौधरी स्व. शारदा प्रसाद, उत्तम सिंह चौधरी पिता शारदा प्रसाद, प्रीति सिंह पत्नि चंद्र प्रकाश सिह, सुषमा चौहान पति अर्जुन सिह व अन्य द्वारा फर्जी रूप से नामांतरण करा लिया हैं जबकि मेरी पक्षकारा का स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य उपरोक्त स्थित मकान मे है शशि सिसोदिया व अन्य द्वारा फर्जी रूप से नामातंरण कराने के विरूद्ध विधिवत अपील मा. एस डी एम न्यायालय कोलार भोपाल में की जा चुकी है। अतः सर्वसाधारण एवं उपरोक्त व्यक्तियो को सूचित किया जाता है कि मेरी पक्षकारा के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की किसी भी सपत्ति का किसी भी प्रकार से कोई संव्यवहार न करे एवं शशि सिसौदिया व अन्य को इस आशाय का सूचना पत्र दिया जाता है कि मेरी पक्षकारा एवं अजीत चौधरी व निशांत चौधरी एवं किरण चौधरी की किसी भी संपत्ति का कोई संव्यवहार न करे अन्यथा भवष्यि मे होने वाले परिणामो की जबाबदारी मेरे पक्षकार की नही होगी। अतः सर्वसाधारण को सूचना प्रेषित है।

श्रीमती भारती शास्त्री अधिवक्ता
ऑफिस : ई-7/15ए, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.) मो.9425010450

!! जाहिर सूचना !!

भूखण्ड क्रमांक-EWS-23 एवं EWS-24 एयरपोर्ट सिटी कॉलोनी ग्राम पीपलनेर वार्ड नंबर-1, तहसील हुजूर जिला भोपाल के संबंध में

मेरे पक्षकार के निर्देशानुसार सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार ने श्रीमती जोया अली पत्नि श्री सैयद उसैद अली द्वारा मुख्तारआम श्री सैयद उसेद अली पुत्र श्री सैयद शराफत अली निवासी फ्लेट नंबर-201, लेक ब्रीज अपार्टमेन्ट प्लाट नंबर-सी-196, कोहेफिजा भोपाल, म.प्र. से उनके स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य के भूखण्ड क्रमांक-EWS-23 एवं भूखण्ड क्रमांक- EWS-24 जिनके प्रत्येक का कुल क्षेत्रफल 39.60 वर्गमीटर अर्थात 426.10 वर्गफिट है को क्रय करने का सौदा तय कर टोकन राशि अदा कर दी है, उक्त भूखण्ड एयरपोर्ट सिटी कॉलोनी ग्राम पीपलनेर वार्ड नंबर-1, तहसील हुजूर जिला भोपाल यदि उक्त भूखण्ड के संबंध में किसी बैंक, सोसायटी, संस्था, बीडीए नगर निगम भोपाल या किसी भी व्यक्ति आदि को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति अथवा लेन-देन या वाद-विवाद हो तो वह इस जाहिर सूचना प्रकाशन से 07 (सात) दिवस के अंदर मेरे कार्यालय में असल दस्तावेज सहित उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें। समयावधि व्यतीत होने के पश्चात किसी प्रकार की आपत्ति मान्य व स्वीकार्य नहीं होगी तथा मेरे पक्षकार उक्त भूखण्ड के विक्रय-पत्र का पंजीयन अपने पक्ष में या अन्य किसी भी व्यक्ति आदि के पक्ष में कराने के लिए स्वतंत्र रहेंगे।

भवदीय **सुरेश मालवीय** (अधिवक्ता)
कार्या- बी-36, कहकशां काम्पलेक्स, फेस-II, कोहेफिजा, भोपाल-462001 (म0प्र0)
मोबाईल-94253-72013

सार्वजनिक सूचना

(भूखण्ड नं. 84, सेक्टर- बी राजा भोज आवासीय योजना ग्राम गोंदरमऊ, भोपाल के संबंध में)

मेरे पक्षकार श्रीमति प्रतिभा सिहं पत्नी श्री आशीष सिहं निवासी सी.टी.ओ. 47 देवलोक कॉलोनी, बैरागढ, भोपाल के निर्देशानुसार सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है श्री 1 श्री इन्द्र कुमार चंदनानी आत्मज श्री भोजराज चंदनानी निवासी एम 1-2 इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी, एयरपोर्ट रोड भोपाल एवं 2 श्री किशोर कुमार चंदनानी आत्मज घनश्यामदास चंदनानी निवासी एम 1-2, इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी, एयरपोर्ट रोड भोपाल के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य का भूखण्ड क्र. 84 सेक्टर-बी ए क्षेत्रफल 9 मीटर x 15 मीटर = 135 वर्गमीटर जो कि भोपाल विकास प्राधिकरण की नगर विकास योजना, गोन्दरमउ चरण-2 राजाभोज आवासीय योजना ग्राम गोंदरमउ, पटवारी हल्का नं.-04, नगर निगम, वार्ड -1 तहसील हुजूर भोपाल निम्नलिखित चतुर्थसीमाओं का क्रय करने हेतु अनुबंधित कर मेरे पक्षकार ने बयाना राशि का भुगतान कर दिया है एवं निकट भविष्य में उक्त सम्पत्ति का पंजीयन कराया जाना है अतएव उक्त सम्पत्ति को विक्रय किये जाने में जिस किसी व्यक्ति (जन साधारण) बैंक, सोसायटी, संस्था, सहकारी समिति, शासकीय/अशासकीय विभागों को कोई आपत्ति हो या उक्त सम्पत्ति से कोई संबंध रखता हो या उक्त सम्पत्ति पर कोई लेनदारी या देनदारी हो तो वह अपनी आपत्ति सूचना प्रकाशन से 03 दिवस के अंदर मेरे कार्यालय में मय लिखित साक्ष्य मूल दस्तावेज के साथ प्रस्तुत करें ग्याद गुजारने के पश्चात मेरे पक्षकार उक्त वर्णित सम्पत्ति का सम्पूर्ण भुगतान कर विक्रय पत्र का पंजीयन करा लेवेंगे तथा बाद में कोई भी आपत्ति मेरे पक्षकार पर बंधनकारी नहीं होगी। चतुर्थ सीमायें:- पूरब मे-रोड, पश्चिम मे-भूखण्ड क्र. 73, उत्तर में-भूखण्ड क्र. 83, दक्षिण में- भूखण्ड क्र. 85

अमित कुमार पाण्डेय अधिवक्ता
कार्या./नि.: के-58, पुलिस लाईन, नेहरू नगर, भोपाल-462003 (म.प्र.)
मो.7415667473, 9425372512

आम सूचना

एक किता कृषि भूमि खसरा न. 81/1/1 (एस) रकबा 0.4280 हेक्टेयर, अर्थात 1.05 एकड़ भूमि, स्थित ग्राम-पिपलिया बाज खाँ, प.ह.न. 26, तहसील-हुजूर, जिला-भोपाल के संबंध में

मैं अपने पक्षकार के निर्देशानुसार सर्वसाधारण को सूचित करता हूं कि मेरे पक्षकार ने विक्रेता (1) श्रीमती बैजंती बाई (आयु वयस्क) पत्नी स्व. श्री बलीराम लोधी (2) विशाल लोधी (3) निशा (4) अंजू लोधी (5) राजेश (6) शारदा लोधी (7) रीना लोधी पुत्र/पुत्रीगण स्व. श्री बलीराम लोधी निवासीगण-पिपलिया बाज खाँ भोपाल के स्वत्व, स्वामित्व, आधिपत्य की एक किता कृषि भूमि खसरा न. 81/1/1 (एस) रकबा 0.4280 हेक्टेयर, अर्थात 1.05 एकड़ भूमि, स्थित ग्राम-पिपलिया बाज खाँ, प.ह.न. 26, तहसील-हुजूर, जिला-भोपाल को क्रय करने हेतु मेरे पक्षकार ने अनुबंध कर विक्रेता को टोकन/बयाना राशि अदा कर दी है। यदि उपरोक्त विक्रित भूमि पर किसी भी व्यक्ति, संस्था, बैंक, वित्तीय संस्था, शासकीय व गैर शासकीय कार्यालयों का किसी भी प्रकार का कोई लेन देन हो अथवा उक्त भूमि कही विक्रय, दान, बन्धक, गिरवी, वसीयत, हिबा, हस्तांतरण इत्यादि हो तो वह इस सूचना प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस की अवधि में मय प्रमाण सहित मेरे कार्यालय में आपत्ति प्रस्तुत करें, समयावधि निकल जाने के पश्चात किसी भी प्रकार का दावा स्वत्व, अधिकार या आपत्ति मेरे पक्षकार पर बन्धनकारी नहीं होगी और मेरे पक्षकार उपरोक्त विक्रित भूमि की शेष राशि का भुगतान कर विक्रय पत्र का पंजीयन करवाने के लिये स्वतन्त्र रहेंगा।

भवदीय **मोनू साहू** (एडवोकेट)
माँ कर्मा लॉ चेम्बर
कार्या. शिव नगर, मेन रोड, भानपुर भोपाल (म.प्र.)-462037
मो.नं. 8109067939

खण्डन आम सूचना

सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दैनिक भास्कर समाचार पत्र में दिनांक 27/08/2026 (क्रमांक 126) को श्री अनुज जैन, अधिवक्ता द्वारा अपनी पक्षकार के निर्देशानुसार, श्रीमती सविता साहू उर्फ सुशीला साहू की ओर से ग्राम बावड़िया कलां, पटवारी हल्का नंबर 42/51, तहसील कोलार/हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.) स्थित खसरा क्रमांक 6/1/2/1/1/1/2, रकबा 0.2510 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 6/1/2/1/2 रकबा 0.0970 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 6/1/2/2/2 रकबा 0.3480 हेक्टेयर (कुल रकबा 0.6960 हेक्टेयर) कृषि भूमि के संबंध में प्रकाशित आम सूचना भ्रामक एवं तथ्यहीन है। यह कि मेरे पक्षकार श्री गोविन्द सियोते पुत्र स्व. बदामी लाल, निवासी बावडिया कलां, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.) की ओर से उनके निर्देशों के अनुसार स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित संपत्ति माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के समक्ष लंबित द्वितीय अपील क्रमांक SA-23-2016 (बदामी लाल विरुद्ध दीवान सिंह एवं अन्य) में विवादास्पद है। उक्त प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 04/09/2019 को अंतरिम आदेश पारित कर स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि "no third party right shall be created by any of the parties-" यह आदेश आज दिनांक तक प्रभावशील एवं बंधनकारी है। अतः, सर्वसाधारण को सचेत किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के उल्लंघन में उक्त संपत्ति के संबंध में किया गया कोई भी क्रय-विक्रय, अनुबंध या अन्य संव्यवहार प्रारंभ से ही शून्य, अवैध एवं निष्प्रभावी होगा। ऐसा कोई भी संव्यवहार करने वाला व्यक्ति अपने जोखिम, लागत और परिणामों के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा तथा माननीय उच्च न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही का भागी भी बनेगा। मेरे पक्षकार ऐसे सभी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

भवदीय **राकेश सिंह** अधिवक्ता
सोमवंशी लॉ एसोसिएशन
ऑफिस : 101-बी, निर्मल पैलेस, एसिस बैंक के पास, अवधपुरी, खजूरीकलां, भोपाल मो.7224880908

:: आम सूचना ::

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है। कि मेरे पक्षकार ने श्रीमती सुरभि, पति श्री अमित कुमार, निवासी म.न. 241, डिफेंस ऑफिसर्स इनक्लेव पार्ट-2, धोलाकुआ छावनी, दक्षिण-पश्चिम, दिल्ली, वर्तमान निवास 9/3, द्रोणाचल, ऐयरपोर्ट रोड, भोपाल (म.प्र.) के स्वत्व एवं अधिपत्य कि भूमि खसरा नं. 187/1, रकबा 0.4944 हेक्टेयर एवं खसरा नं. 188, रकबा 0.1204 हेक्टेयर जो ग्राम मोरगा, प. ह.न 4/7, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.) में स्थित है एवं बिस्वास बिल्डकान प्रायवेट लिमिटेड, पता ग्राउण्ड फ्लोर, ब्लॉक-ए, 14, फैक्ट्री रोड, सफदरगंज, नई दिल्ली द्वारा भागीदार शांति शाही, पत्नि श्री राम विनय शाही, निवासी -ग्राउण्ड फ्लोर, ब्लॉक-ए, 14, फैक्ट्री रोड, सफदरगंज, नई दिल्ली, स्थानीय पता-ग्राम मोरगा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.) के स्वत्व एवं अधिपत्य कि भूमि खसरा नं. 187/1 में 0.0495 हेक्टेयर जो ग्राम मोरगा, प.ह.न 4/7, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.) में स्थित है। इस प्रकार दोनो भूमियो का कुल रकबा 0.6643 हेक्टेयर अर्थात् एकड़ में 1.64 एकड़ भूमि को क्रय करने का अनुबंध हेतु टोकन दिया है। यदि उपरोक्त भूमिया कही रहन, विक्रेय, अनुबंधित या भारग्रस्त हो या किसी बैंक आदि में गीरवी रखी हो, या किसी व्यक्ति, संस्था, सोसायटी अथवा किसी वारीस का कोई स्वत्व, हित अथवा अधिकार या अन्य कोई लेन देन या कोई ऋण या भारग्रस्त हो तो वह इस सूचना के प्रकाशन से सात दिन के भीतर मेरे समक्ष समस्त दस्तावेजी प्रमाण के साथ आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा सात दिवस के पश्चात मेरे पक्षकार उपरोक्त भूमि की रजिस्ट्री अपने नाम या उनके द्वारा नामित व्यक्ति के नाम कराने हेतु स्वतंत्र होगे तत्पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही की जायेगी।

एम.आसिम एडवोकेट
33, एडवोकेट कॉलोनी,, ईदगाह हिल्स, भोपाल (म.प्र.) मो. 9425300785

रेल भूमि विकास प्राधिकरण

(रेल मंत्रालय, भारत सरकार का सांविधिक प्राधिकरण)
य